

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा

आदेश

श्री हरिभगवान, चालक कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-1 को हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के उप नियम 143(1) के तहत दिनांक 30.06.2022 को बाद दोपहर 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
23.06.2022

जितेन्द्र जोशी, एच0सी0एस0
संयुक्त निदेशक प्रशा0 विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक एए1-2021/ 67702-

दिनांक: 24/06/22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
3. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-1।
4. श्री हरिभगवान, चालक कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-1।
5. ए0ई0/आई0टी0सेल।

4/7/22

SA/II

Ankita
5/7/22

huog

अधीक्षक (प्रशा0-1)

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।